



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1542]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2016/ज्येष्ठ 30, 1938

No. 1542]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2016/JYAISTHA 30, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2016

का.आ. 2155(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) जिसे पूर्णतया या भागतः सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट है, के लोकपाल की अधिकारिता के अधीन होने के लिए वार्षिक आय की रकम “एक करोड़ रुपए” अधिसूचित करती है ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों या वित्तीय सहायता को वार्षिक आय का अवधारण करने के लिए विचार में लिया जा सकेगा ।

[फा. सं. 407/02/2016/एवीडी-IV(लोकपाल)/भाग - 1]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2016

S.O. 2155(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the amount of annual income of society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not), by whatever name called, wholly or partly financed by the Government as referred to in clause (g) of sub-section (1) of section 14 of the said Act for being under the jurisdiction of Lokpal, shall be “one crore rupees”.

2. For the purpose of this notification only the grants or financial assistance given by the Central Government may be taken into consideration for determining the annual income.

[F.No. 407/02/2016-AVD-IV(Lokpal) Pt. 1]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.